**भारत सरकार**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 61**

**17.07.2017 को उत्‍तर के लिए**

**सीमावर्ती क्षेत्रों में अवसंरचना परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय स्‍वीकृति**

**61. डा. विनय पी. सहस्‍त्रबुद्धे :**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क ) क्‍या सीमावर्ती क्षेत्रों में अवसंरचना परियोजनाओं को शीघ्र पर्यावरणीय स्‍वीकृति प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा कोई सुविचारित नीति अपनाई गई है, और यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या हैं;

(ख) सरकार द्वारा इस नीति‍ के अपनाए जाने के बाद से सीमावर्ती क्षेत्रों में अब तक कितनी अवसंरचना परियोजनाओं को स्‍वीकृति की गई हैं; और

(ग) इस पद्धति से पर्यावरणीय स्‍वीकृति में लगने वाले समय में किस हद तक कमी आई है?

**उत्‍तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री**

**(डॉ. हर्ष वर्धन)**

(क) से (ग) जी हां, मंत्रालय ने पर्यावरण प्रभाव मूल्‍यांकन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 का संशोधन का आ 382 (अ) दिनांक 03.02.2015 जारी करते हुए सीमावर्ती राज्‍यों में सभी राजमार्ग परियोजनाओं को स्‍कोपिंग की अपेक्षा से छूट देने तथा सीमावर्ती राज्‍यों में सभी लीनियर परियोजनाओं को मंत्रालय द्वारा निर्धारित उचित शर्तों के अध्‍यधीन सार्वजनिक सुनवाई की अपेक्षा से छूट देकर सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यावरणीय अनुमति की प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाने हेतु कदम उठाए हैं। मंत्रालय में उक्‍त अधिसूचना के जारी किये जाने के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों में लीनियर परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय अनुमति दिये जाने हेतु कोई प्रस्‍ताव प्राप्‍त नहीं हुआ है। परियोजना के मूल्‍यांकन को स्‍कोपिंग तथा सार्वजनिक सुनवाई की अपेक्षा से छूट देने से पर्यावरणीय अनुमति दिए जाने के लिए परियोजना के मूल्‍यांकन में अपेक्षित समय काफी हद तक कम हो जाएगा ।

\*\*\*\*\*\*